निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :102/2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. घूडी लाल उर्फ ओम प्रकाश पुत्र नृसिंहलाल
2. छोटे लाल उर्फ सीताराम पुत्र नृसिंह लाल
3. जगदीश पुत्र सूरीलाल
4. सुनील पुत्र सूरीलाल
5. मोहन पुत्र. बाबूलाल
6. सोहन पुत्र बाबूलाल
7. रामेश्वर पुत्र बाबूलाल
8. सुशील पुत्र बाबूलाल
9. सुरेश पुत्र. बाबूलाल

समस्त जाति माली निवासी कचोलिया रोड, के पास करबा चौमू, जिला जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी चौमू जरये पीठासीन अधिकारी श्री राजेश जाखड आ० ए० एस०
2. कालूराम पुत्र राम प्रसाद
3. हनुमान सहाय पुत्र रामप्रसाद
4. तीजादेवी पत्नी राम प्रसाद
5. मंगला पुत्र रामनाथ

समस्त जाति माली, निवासी कचौलिया रोड के पास, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

6. शान्ती देवी पुत्री राम प्रसाद पत्नी बलदेव सैनी जाति माली, निवासी नारद का बाग, आमेर, जिला जयपुर ।
7. नाथी देवी पुत्री राम प्रसाद पत्नी छोटेलाल सैनी जाति माली निवासी नारद का बाग, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
8. मनभर देवी पुत्री राम प्रसाद पत्नी कन्हैयालाल सैनी जाति माली निवासी नेताजी की चक्की के पास, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर।
9. मन्ना देंवी पत्नी स्व० श्री राम प्रसाद पत्नी स्व० राजेंन्द सोनी जाति माली, निवासी ग्राम हाडोता, तहसील चौमू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2011 व उनवानी कालूराम व अन्य बनाम बाबूलाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मोहन लाल जाट अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 5 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 25.07.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष प्रकरण संख्या 31/2011 ब उनवानी कालूराम व अन्य बनाम बाबूलाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चौमू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई किन्तु प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी संख्या 2 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहन लाल जाट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन है। जिसमें पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अनवरत तारीख पेशिया ही दी जा रही है। जब कि प्रार्थीगणए ने जबाब दावा अर्से दराज पूर्व ही प्रस्तुत कर दिया था पत्रावली में प्रत्येक पेशी पर कार्यवाही किया जाना विधि की मंशा है लेकिन प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विधिक अधिकारों को तय नहीं कर केवल तारीख पेशी ही दी जा रही है तथा प्रकरण में आज दिनांक तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। दिनांक 4.01.2023 को प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र. आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी का पेश किया गया जिसमें पत्रावली वास्ते जबाब बहस दिनांक 25.01.2023 नियत की गई। प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 प्रार्थना पत्र के जबाब एवं बहस में नियत है, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा कोई सम्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है। दिनांक 17.04.2023 को प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में बहस समाहत हेतु उपस्थित हुये तथा निवेदन किया कि प्रकरण काफी दीर्घ अवधि से लम्बित है तथा अनायास ही प्रकरण में देरी की जा रही है । इस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को कहा कि मै प्रकरण में अपने स्तर पर कार्यवाही करूंगा चाहे प्रकरण कितना ही पुराना क्यों न हो । तत्पश्चात अप्रार्थीगण ने मौके पर प्रार्थी संख्या 8 को धमकी दी कि प्रकरण हम चाहेगे तक ही निस्तारित होगा और पीठासीन अधिकारी से हमारी बातचीत व जानकारी हो चुकी है इसलिए आप चाहे जितना प्रयास कर ले प्रकरण में हमारे हितों के अनुरूप व हमारे मन माफिक कार्यवाही होगी। पूर्व तारीख पेशियों पर भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थी संख्या 1 के चैम्बर में बैठा हुआ व उनसे हसते हुये बतचीत करता हुआ देखा गया है । इस कारण ही अब प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 के

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रही है इसलिए प्रकरण को सही व निष्पक्ष न्याय निर्णय के लिये अन्य न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 5 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना खारिज फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी चौमू के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उपखण्ड अधिकारी चौमू से टिप्पणी चाही गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई है। इससे प्रार्थी के कथन को वल मिलाता है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, वल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है।

8. फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी चौमू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 31/2011 व उनवानी कालूराम व अन्य बनाम बाबूलाल अन्य को न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को अन्तरण किया जाता है।

9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

10. निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू वं **उपखण्ड** मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर (सहायक कलक्टर) को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **25.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर